

# प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 04-04-2021

सहारनपुर पुलिस द्वारा आगामी त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2021 की

तैयारियों एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ बनायें रखने हेतु 24 घंटों के

## अन्दर की गई कार्यवाही:-

- जनपद पुलिस द्वारा अन्तर्गत धारा 107/116 द0प्र0सं0 के तहत 61 वादों में कुल 968 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है।
- शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत आपराधिक छवि के कुल 15 अभियुक्तों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में चालानी रिपोर्ट प्रेषित की गई है।
- जनपद के विभिन्न थानों द्वारा आबकारी, पोक्सो अधिनियम, एससी एसटी एक्ट एवं दहेज अधिनियम में वांछित चल रहे कुल 12 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।
- थाना नकुड, थाना गंगोह, थाना नानौता, थाना देवबन्द, एवं थाना कोतवाली देहात द्वारा अवैध शराब व अवैध शस्त्र सहित कुल 07 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा गया।
- आगामी त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन-2021 की प्रक्रिया को शान्तिपूर्वक सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत एवं कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ बनाये रखने हेतु 24 घंटों में कुल 10 लाईसेन्सी शस्त्र जमा कराये गये।
- आगामी त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन-2021 की प्रक्रिया को शान्तिपूर्वक सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत तथा संवेदनशीलता को कम करने हेतु जनपद के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में निरंतर भ्रमणशील रहते हुए आम जनमानस को शांतिपूर्वक मतदान करने के साथ-साथ कोविड-19 प्रोटोकाल के नियमों का पालन करने हेतु अपील की गई। इसके अतिरिक्त जनपद के राजपत्रित अधिकारियों द्वारा अपराध की रोकथाम एवं कानून-व्यवस्था के मद्देनजर क्षेत्रों में निरंतर भ्रमणशील रहकर स्थितियों का जायजा लिया जा रहा है।



## प्रेस नोट दिनांक 04/04/2021 थाना नकुड जनपद सहारनपुर

दिनांक 27.03.21 को वादी श्री जितेन्द्र पुत्र हरचन्द निवासी सिरसका थाना नकुड जिला सहारनपुर की दाखिला तहरीर के आधार पर थाना नकुड पर मु0अ0स0 125/2021 धारा 302/120बी/420/201/34 भादवि बनाम अभि0गण (1) विक्रम पुत्र हरचन्द, (2) अंकित (3) रजत पुत्रगण विक्रम निवासी ग्राम सिरसका थाना नकुड स0पुर (4) नीटू पुत्र उधल निवासी बिलासपुर थाना गंगोह जिला सहारनपुर व एक लडकी नाम पता अज्ञात बाबत अभि0गण द्वारा षडयन्त्र रचकर वादी के भाई बिजेन्द्र पुत्र हरचन्द निवासी सिरसका थाना नकुड जिला सहारनपुर (मृतक) को शादी का झांसा देकर 02 लाख रुपये हडप लेने तथा वादी के भाई बिजेन्द्र की पानी में डुबोकर हत्या कर देने तथा लाश को गांव सिरसका जंगल में ब्रजपाल के ट्यूबैल के पानी के हौज में डाल देने के सम्बन्ध में पंजीकृत किया गया था। जिसमें सीमा देवी पत्नी जसबीर नि0 रसूलपुर कंकरखाता थाना लक्सर जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड) का नाम प्रकाश में आया था। मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभि0गणों की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय व श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय सहारनपुर द्वारा निर्गत आदेशो निर्देशों के अनुपालन में तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नकुड महोदय के निकट पर्यवेक्षण में श्री किरनपाल सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना नकुड के कुशल नेतृत्व में वांछित अभि0गणों की गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास के बाद थाना नकुड पुलिस द्वारा आज दिनांक 04/04/2021 को थाना नकुड के मु0अ0सं0 125/21 धारा 302/120बी/420/201/34 भादवि0 में वांछित अभियुक्ता सीमा देवी पत्नी जसबीर नि0 रसूलपुर कंकरखाता थाना लक्सर जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड) को उसके घर रसूलपुर कंकरखाता थाना लक्सर जिला हरिद्वार से समय करीब 08.05 बजे गिरफ्तार किया गया।

### अभियुक्ता का नाम व पता:-

1. सीमा देवी पत्नी जसबीर नि0 रसूलपुर कंकरखाता थाना लक्सर जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. प्र0नि0 श्री किरनपाल सिंह
2. उ0नि0 श्री राजपाल सिंह
3. है0का0 569 नीरज कुमार
4. म0है0का0 01 पुष्पा देवी
5. का0 1582 सन्नी राणा

## प्रेस नोट दिनांक 04-04-2021

### थाना नकुड पुलिस द्वारा अवैध शराब सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार :-

दिनांक 03-04-2021 को थाना नकुड पुलिस द्वारा रनियाला दयालपुर से अविभ० बालेन्द्र उर्फ सतवीर पुत्र करण सिंह निवासी रनियाला दयालपुर थाना नकुड, सहारनपुर को 100 लीटर शराब खाम मय शराब बनाने के उपकरण व मौके से 150 लीटर लहन सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना नकुड पर मु०अ०सं० 137/21 धारा 60(2) आबकारी अधि० पंजीकृत किया गया।

### थाना देवबन्द पुलिस द्वारा अवैध शराब सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार :-

दिनांक 03-04-2021 को थाना देवबन्द पुलिस द्वारा सत्संग भवन के सामने मझोल जबरजस्तपुर से अभि० सन्दीप पुत्र रामपाल निवासी मझोल जबरजस्तपुर थाना देवबन्द, सहारनपुर को 20 लीटर शराब खाम सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना देवबन्द पर मु०अ०सं० 212/21 धारा 60(1) आबकारी अधि० पंजीकृत किया गया।

### थाना गंगोह पुलिस द्वारा अवैध शराब सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार :-

दिनांक 03-04-2021 को थाना गंगोह पुलिस द्वारा दौलतपुर घाट से अभि० 1-निशान्त पुत्र उमेश निवासी मछरोली थाना गंगोह, सहारनपुर व 2-अजय पुत्र ओमपाल निवासी ईशापुर थाना गंगोह, सहारनपुर को 01 पेटी देशी शराब व 02 पेटी हाफ मय गाडी वैगनआर सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना गंगोह पर मु०अ०सं० 158/21 धारा 60/63/72 आबकारी अधि० पंजीकृत किया गया।

### थाना गंगोह पुलिस द्वारा अवैध शराब सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार :-

दिनांक 03-04-2021 को थाना गंगोह पुलिस द्वारा दौलतपुर घाट पुल गंगोह से अभि० 1-मनजीत पुत्र इन्दर निवासी कलानगर थाना गन्नोर सोनीपत, हरियाणा व 2-दिनेश कश्यप पुत्र ब्रह्मसिंह निवासी रामडा थाना कैराना, शामली को कैंटर गाडी से 97 पेटी शराब देशी व अंग्रेजी हरियाणा मार्का सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना गंगोह पर मु०अ०सं० 159/21 धारा 60/63/72 आबकारी अधि० व 420,465 भादवि पंजीकृत किया गया।

### थाना को०देहात पुलिस द्वारा अवैध शराब सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार :-

दिनांक 03-04-2021 को थाना को०देहात पुलिस द्वारा रसूलपुर से मठ जाने वाले रास्ते पर कब्रिस्तान के पास से अभि० राजू पुत्र शीशपाल निवासी सलेमपुर भूकडी थाना को०देहात, सहारनपुर को 48 पव्वे क्रेजीरोमियो अरूणाचल प्रदेश मार्का सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना को०देहात पर मु०अ०सं० 159/21 धारा 63 आबकारी अधि० पंजीकृत किया गया।

### थाना को०देहात पुलिस द्वारा अवैध शराब व चाकू सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार :-

दिनांक 03-04-2021 को थाना को०देहात पुलिस द्वारा ज्ञाननगर तिराहे से ज्ञानागढ की तरफ जाने वाले रास्ते पर से अभि० मुस्तफा पुत्र लियाकत निवासी मौहल्ला छिपियान थाना को०नगर, सहारनपुर को 48 पव्वे क्रेजीरोमियो अरूणाचल प्रदेश मार्का व 01 नाजायज चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना को०देहात पर मु०अ०सं० 160,161/21 धारा 63 आबकारी अधि० व 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

मीडिया/सोशल मीडिया सेल  
सहारनपुर।